"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 151-अ] रायपुर, शनिवार, दिनांक 22 जून 2002—आषाढ़ 1, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2002

क्रमांक 433D/21-अ/प्रारूपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 6 सन् 2002) सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्रमांक 6 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2002

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया है.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) को संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य के विधानमण्डल का सत्र चालू नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि तत्काल कार्रवाई करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्रमांक 6 सन् 2002) है.

(2) यह 1 मार्च 2002 से प्रवृत्त होगा.

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) इस संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

धारा 49 की उपधारा (7-क क) में संशोधन.

3. छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र. 17 सन् 1961) की धारा 49 की उपधारा (7-क क) में शब्द "बारह मास" के स्थान पर शब्द "चौबीस मास" स्थापित किये जाएं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल

रायपुर, दिनांक 21 जून 2002

क्रमांक 433D/21-अ/प्रारूपण/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 2002 (क्र. 6 सन् 2002) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ORDINANCE
(No. 6 of 2002)

THE CHHATTISGARH CO-OPERATIVE SOCIETIES (SANSODHAN) ADHYADESH, 2002

Promulgated by the Governor of Chhattisgarh in Fifty third Year of the Republic of India.

An Ordinance to amend the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961).

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Chhattisgarh is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Chhattisgarh Co-operative societies (Sansodhan) Adhyadesh, 2002 (No. 6 of 2002).

(2) It shall come into force from 1st March 2002.

The Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) to be amended.

2. During the period of operation of this Ordinance the Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961) shall have effect subject to this amendment.

Amendment in sub-section (7-AA) of Section 49.

3. In the Sub-section (7-A A) of Section 49 of the Co-operative Societies Act ,1960 (No. 17 of 1961) for the words "twelve months" the words "twenty four months" shall be substituted.

GOVERNOR CHHATTISGARH

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.